रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2000/चैत्र 17, 1922
No. 243] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2000/CHAITRA 17, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2000

का. आ. 352 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (प्रथम संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 6च के उपनियम (1) में परन्तु के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस उपनियम की कोई बात किसी व्यक्ति की दशा में किसी पूर्व वर्ष के संबंध में लागू नहीं होगी, यदि वृत्ति से उसकी समग्र सकल प्राप्तियां पूर्व वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है, या वहां वृत्ति पूर्व वर्ष में नई स्थापित की गई है, वहां उस वर्ष के लिए वृत्ति से उसकी समग्र सकल प्राप्तियां उक्त रकम से अधिक होने की संभावना नहीं है।

[अधिसूचना सं. 11319/फा. सं. 9/एफबी/2000 टी.पी.एल]

एस. बालासुब्रमणियन, अवर सचिव

पाद-टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित हुए थे और इनमें अंतिम संशोधन का आ. सं. 1292 तारीख 27-12-99 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2000

S.O. 352(E).—In exercise of the powers conferred by Section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (First Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 6F, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that nothing in this sub-rule shall apply in relation to any previous year in the case of any person if his total gross receipts in the profession do not exceed one lakh fifty thousand rupees in any one of the three years immediately preceding the previous year, or, where the profession has been newly set up in the previous year, his total gross receipts in the profession for that year are not likely to exceed the said amount.".

[Notification No. 11319/F. No. 9/FB/2000-TPL]

S. BALASUBRAMANIAN, Under Secy.

Foot Note.—The principal rules were published vide notification No. S.O 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification S.O. No. 1292 dated the 27-12-99.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.